संख्या- 33/2022/1749/001-1-बी0-2022

प्रेषक,

सुखलाल भारती,
विशेषसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 अक्टूबर, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 के राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कालेज एवं अस्पताललखनऊ के वाहय रोगी/अन्त: रोगी विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं इन्टरलाकिंग तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को कराये जाने के हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्तविषयक अपके पत्र संख्या-नि0हो0/1041/बजट/प्लान/21-22/टी0सी0/2013 दिनांक 21-07-2022 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ के वाहय रोगी/ अन्त: विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं इन्टरलाकिंग तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को कराये जाने के हेतु धनराशि रू0 900.76 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-34 लेखाशीर्षक-"4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-03-राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कालेजलखनऊ, राजकीय पं0 जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथिक कालेजकानपुर तथा राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेजप्रयागराज के भवनों का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत बजट प्राविधान रू0 750.00लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

1- परियोजना में प्रस्तावित की गयी मात्राओं/प्राविधानों/दरों के औचित्य की पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक,होम्योपैथी सम्बन्धित प्राचार्य तथा कार्यदायी संस्था की होगी।
2- आगणन में उल्लिखित मदों/मात्राओं/दरों/लागत को इन्डिकेटिव मानते हुए मात्र बजट एलोकेशन हेतु की प्रयोग किया जायें।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

4- यदि प्रस्तावित प्रायोजना अन्तर्गतउच्च विशिष्टियां सम्मिलित हैं, तो उच्च विशिष्टियों का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

5- बजटप्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, होम्योपैथी तथा सम्बधित प्राचार्य का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक होम्योपैथी तथा सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्षअवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

6- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशकहोम्योपैथी सम्बन्धित प्राचार्य तथा कार्यदायी संस्था की होगी।

7- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

8- निदेशक, होम्योपैथी तथा सम्बन्धित प्राचार्य यह सुनिश्चित करेगें की प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

9- प्रायोजना अन्तर्गत कार्यमदों /विशिष्टियों में कोई परिवर्तन मूल्यांकन समिति के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

10- चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण /स्थापना का कार्य किया जायेगा।

11- परियोजनाओं में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आयुष कालेज के प्राचार्य, सम्बन्धित जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं निदेशक का होगा।

12- परियोजना में प्रस्तावित कार्य/स्थापना सम्बन्धी कार्य की डुप्लकेसी को रोकने की दृष्टि से निर्माण ईकाई/सम्बन्धित आयुष कालेज के प्रचार्यसम्बन्धित जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत था और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित होगा।

13- प्रायोजना अन्तर्गत सम्बन्धित उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमोंउत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट आफ गुड्स)2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा ई0

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

टेण्डर/ई0 प्रोक्योरमेंट/गर्वनमेन्ट, ई0 मार्केट प्लस(जेम पोर्टल) से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- प्रायोजना हेतु 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य की गयी है। प्रशासकीय विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रयोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

15- प्रायोजना में सम्मिलित जो कार्य प्रोपराईटरी श्रेणी का कार्य है एवं इनके शेड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेकमाड्ल एवं स्पेशिफिकेसन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वभाविक है। अतः आयुष कालेज के प्रचार्यजिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं निदेशक द्वारा निर्माण के समय इसका कार्य एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।

16- प्रायोजना का निर्माण स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

17- उपकरण/फर्नीचर क्रय बाट आउट एवं प्रोपराईटरी श्रेणी के कार्य हेतु सेन्टेज अनुमन्य नहीं होगा।

18- प्रायोजना अन्तर्गत प्रयुक्त निर्माण कार्यों की लागत पर ही आकस्मिक व्यय, लेबर सेस एवं सेन्टेज चार्ज अनुमन्य होगा।

19- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।

20- संबन्धित परियोजनाओं के आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को ही उक्त धनराशि का भुगतान किया जाय।

21- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून 2022 वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/20-1-1190 /दस-2-2017-231/2017 दिनांक 03.08.2017 तथा वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-1 के पत्र संख्या-3/2021/बीस-375/दस-2021-231/2021दिनांक 22.03.2021 एवं समय समय पर निर्गत अन्य मार्गदर्शन शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

22- निदेशक/प्राचार्य/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वित्त/लोक निर्माण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

23- उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ राजकीय इंजीनियरिंग कालेज की गुणवत्ता रिपोर्ट एंव निदेशक/प्राचार्य द्वारा संयुक्त मूल्यांकन रिपोर्ट के पश्चात् ही अगली किस्त निर्गत की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाले व्यय रूपये 2,50,00,000 (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 034 लेखा शीर्षक4210018000300 राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कालेजलखनऊ,राजकीय पं.जवाहर लाल नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कालेजकानपुर तथा राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथी मेडिकल कालेजप्रयागराज के भवनों का निर्माण मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-250/दस-2022-23दिनांक - 15-09-2022, वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(सुखलाल भारती)
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या:- 33/2022/1749/001-1-B-2022तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एक हकदारी द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथी निदेशालय, लखनऊ।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- प्राचार्य, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ, उ0प्र0।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ, उ0प्र0।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 1/2
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र कुमार)
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।